तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए./6270/2005/उदयपुर श्री नन्दलाल बनाम श्री कन्हैया लाल	नम्बर व तारीख

एकल पीठ
श्री धूकलराम कसवाँ सदस्य

उपस्थित

श्री खडग सिंह अभिभाषक प्रार्थी

श्री पूर्णाशंकर दशौरा अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा जिला उदयपुर के आदेश दिनांक 8–12–05 के विरूद्ध राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

आक्षेपित आदेश के द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 14 जाब्ता दीवानी को स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को रेकार्ड पर लेने के आदेश दिये गये हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज पेश किये गये हैं वह एकतरफा पेश किये गये हैं जिसमें नन्द लाल पक्षकार नहीं था व उन दस्तावेजों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। वसीयत को स्वतंत्र रूप से साबित कराना होगा। वादी ने इन दस्तावेजों को दावे के साथ क्यों पेश नहीं किया जो वाद के आधार थे। अब जानबूझ कर शहादत शुरू होने के बाद क्योंकि पेश किये गये, इसका कोई कारण नहीं बताया।कानूनन इस प्रकार के दस्तावेजों को रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है। इसलिये निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि उक्त दस्तावेज न्यायालय में पेश किये गये थे परन्तु पीठासीन अधिकारी का रिमार्क नहीं होने से उन्हें रेकार्ड पर नहीं लिये जाने का आदेश दिया गया। उक्त दस्तावेज निर्णय पारित करने में सहायक दस्तावेज हैं इसलिये उन्हें कोस्ट पर रेकार्ड पर लेने के आदेश पारित किये गये हैं जो विधिसम्मत है। निगरानी खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगणक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
निगरानी/टीए./6270/2005/उदयपुर
श्री नन्दलाल बनाम श्री कन्हैया लाल

अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को निर्णय पारित करने में सहायक दस्तावेज मानते हुये और देरी से प्रस्तुत करने पर हर्जाने पर रेकार्ड पर लेने के आदेश दिये हैं। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10–10–05 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्णित दस्तावेजों पर कोई मार्का नहीं है तथा कब किसके द्वारा पेश किये गये स्पष्ट नहीं होता है। प्रार्थी को चाहिये कि वह सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों को विधिवत प्रस्तुत करें। उक्त दस्तावेजों को वादी को लौटाने के आदेश दिये गये हैं। न्यायालय के आदेशों की पालना में ही आदेश 7 नियम 14 जाब्ता दीवानी के तहत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। दस्तावेज देरी से प्रस्तुत करने के कारण उन्हें हर्जाने पर रेकार्ड पर लेने के आदेश दिये गये है।जिसमें किसी प्रकार की क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि अथवा अवैधानिकता नहीं पाये जाने के कारण निगरानी खारिज योग्य है।

अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। उभय पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30–7–2018 को उपस्थित रहने के लिये जरिये अभिभाषक पाबन्द किया जाता है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद वर्ष 1999 से लम्बित है जो काफी पुराना हो चुका है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण अधिकतम तीन माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)
सदस्य